# अनुदान संख्या 60 – सूचना और प्रसारण मंत्रालय
# GRANT No. 60–MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

| | | | | कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत- Saving– |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | (हजार रुपयों में) (In thousands of rupees) |
| राजस्व: | **Revenue:** | | | | | |
| *प्रभारित-* | *Charged–* | | | *3,00* | . . | *–3,00* |
| *वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि* | *Amount surrendered during the year* | | | | | *3,00* |
| स्वीकृत- | Voted– | | | | | |
| मूल | Original | 13,29,06,00 | | 1428,48,00 | 1338,25,29 | –90,22,71 |
| पूरक | Supplementary | 99,42,00 | | | | |
| वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि | Amount surrendered during the year | | | | | 83,99,87 |
| पूंजीगत: | **Capital:** | | | | | |
| स्वीकृत- | Voted– | | | | | |
| मूल | Original | 273,97,00 | | 273,99,00 | 205,28,45 | –68,70,55 |
| पूरक | Supplementary | 2,00 | | | | |
| वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि | Amount surrendered during the year | | | | | 64,05,10 |

***टीका और टिप्पणियां***

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, *3.00 लाख रु.* का *विनियोग* मुख्य शीर्ष "2251" के अंतर्गत एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा और इसे अंततः अभ्यर्पित कर दिया गया।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (9022.71 लाख रु.) मार्च, 2006 में प्राप्त किए गए 9942.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 91 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 6 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

***Notes and comments***

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, *appropriation* of *Rs.3.00 lakhs* remained wholly unutilised in one case under Major Head "2251" and was eventually surrendered.

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.9022.71 lakhs) constituted 91 percent of the supplementary grant of Rs.9942.00 lakhs obtained in March, 2006 and 6 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

| शीर्ष | Head | | कुल अनुदान Total grant | वास्तविक व्यय Actual expenditure | अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving– |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees) |
| मुख्य शीर्ष "2251" सचिवालय - सामाजिक सेवाएं | Major Head "2251" Secretariat – Social Services | | | | |
| मू. | O. | 1903.00 | | | |
| पू. | S. | 37.00 | 2104.85 | 2116.83 | +11.98 |
| पु. | R. | 164.85 | | | |
| मुख्य शीर्ष "2205" कला एवं संस्कृति | Major Head "2205" Art and Culture | | | | |
| मू. | O. | 416.00 | | | |
| पू. | S. | 30.00 | 386.00 | 349.71 | –36.29 |
| पु. | R. | –60.00 | | | |
| मुख्य शीर्ष "2220" सूचना तथा प्रचार | Major Head "2220" Information and Publicity | | | | |
| मू. | O. | 24384.00 | | | |
| पू. | S. | 317.00 | 24155.28 | 23556.75 | –598.53 |
| पु. | R. | -545.72 | | | |
| मुख्य शीर्ष "2221" प्रसारण | Major Head "2221" Broadcasting | | | | |
| मू. | O. | 100961.00 | | | |
| पू. | S. | 9558.00 | 107802.00 | 107802.00 | . . |
| पु. | R. | –2717.00 | | | |
| मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र | Major Head "2552" North Eastern Areas | | | | |
| मू. | O. | 5242.00 | . . | . . | . . |
| पु. | R. | –5242.00 | | | |

(I) 6756.00 लाख रु. का प्रावधान पांच शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 6752.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए :-

(का) मुख्य शीर्ष "2220" - "केंद्रीय निगरानी सेवाएं" -

(क) "निदेशन और प्रशासन" - 510.00 लाख रु. समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप न दिए जाने और कम्प्यूटर कोड उपलब्ध न होने के कारण थे।

(ख) "अन्य व्यय" - 1000.00 लाख रु. भूमि के आबंटन, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने में विलंब होने, कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा परियोजना लागू किए जाने के करार की विधीक्षा में विलंब होने और कम्प्यूटर कोड के उपलब्ध न होने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष "2552" - "अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाएं/स्कीमें" - 5242.00 लाख रु. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण थे।

(II) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाए गए अनुसार पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष "2205" - "सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए चलचित्र फिल्मों का प्रमाणीकरण - केंद्रीय फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड" - 405.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 30.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 435.00 लाख रु. कर दिया गया था। तथापि, 92.99 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) सादगी के उपाय किए जाने, गुप्तचर अभिकरणों को कम अदायगी किए जाने और चिकित्सा प्रतिपूर्ति के कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(खा) मुख्य शीर्ष "2220" - "फिल्में - फिल्म निर्माण - फिल्म प्रभाग" - 2695.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 65.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 2760.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 109.51 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) वितरण के लिए फिल्मों के प्रिंटों की

(I) Provision of Rs. 6756.00 lakhs remained wholly unutilised under five heads; of these Rs.6752.00 lakhs accounted for under the following major heads: -

(A) Major Head "2220" – "Central Monitoring Services" -

(a) "Direction and Administration" - Rs.510.00 lakhs - due to non-finalisation of Memorandum of Understanding and non-availability of computer code.

(b) "Other Expenditure" - Rs.1000.00 lakhs – due to delay in allotment of land, signing of Memorandum of Understanding, delay in vetting of agreement of implementing the project by the executing agency and non-availability of computer code.

(B) Major Head "2552"- "Other Expenditure-Projects/Schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim" - Rs.5242.00 lakhs – due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Supplementary grant obtained under the following major heads remained wholly unutilised as shown against each:-

(A) Major Head "2205" - "Certification of Cinematographic Films for Public Exhibition – Central Board of Film Certification" – the original provision of Rs.405.00 lakhs was augmented to Rs.435.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.30.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.92.99 lakhs (including supplementary grant)- due to austerity measures, less payment to detective agencies and receipt of less medical reimbursement claims.

(B) Major Head "2220" - "Films - Production of Films - Films Division"- the original provision of Rs.2695.00 lakhs was augmented to Rs.2760.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.65.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.109.51 lakhs (including supplementary grant) -

संख्या में कमी किए जाने, नगरपालिका करों में परिवर्तन होने, व्यवसायियों को कम संख्या में किराए पर लेने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

due to reduction in number of prints of films for distribution, variation in municipal taxes, hiring of less number of professionals and austerity measures.

(III) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान भी प्रत्येक के सामने दर्शाए गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(III) Supplementary grant obtained under the following major heads also remained unutilised to the extent as shown against each:-

(का) मुख्य शीर्ष "2220" - "अन्य - प्रकाशन - प्रकाशन प्रभाग" - 1268.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 86.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1354.00 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, रिक्त पदों को भरे न जाने, प्रभाग से कुछ अधिकारियों का स्थानांतरण किए जाने और "बिल्डर्स एट माडर्न इंडिया" शृंखला के अंतर्गत जारी की गई पुस्तक के प्राप्त न होने के कारण 63.95 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(A) Major Head "2220" - "Others - Publications - Publications Division" - the original provision of Rs.1268.00 lakhs was augmented to Rs.1354.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.86.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.63.95 lakhs - due to non-filling up of vacant posts, transfer of certain officers from the division and non-receipt of the book commissioned under "Builders at Modern India" series.

(खा) मुख्य शीर्ष "2221" - "सामान्य - प्रसार भारती को अनुदान - प्रसार भारती" - 100957.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 9558.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 110515.00 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जम्मू और कश्मीर (चरण-II) के अंतर्गत स्कीम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण 2713.00 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(B) Major Head "2221" - "General – Grants to Prasar Bharti – Prasar Bharti" - the original provision of Rs.100957.00 lakhs was augmented to Rs.110515.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.9558.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.2713.00 lakhs - due to non-approval of the scheme under Jammu and Kashmir (Phase II) by the competent authority.

(IV) मुख्य शीर्ष "2220" - "फिल्में - अन्य व्यय - फिल्म समारोह निदेशालय" के अंतर्गत 133.60 लाख रु. की बचत (836.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) समारोह संबंधी आवश्यकता पूरी करने के लिए पर्याप्त थिएटरों के उपलब्ध न होने, अनुदर्शियों की संख्या में कमी किए जाने, समझौता ज्ञापन पर देर से हस्ताक्षर किए जाने, नगरपालिका करों में परिवर्तन होने, विदेशी दौरे कम किए जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "2220" - "Films - Other Expenditure - Directorate of Film Festivals" - saving of Rs.133.60 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.836.00 lakhs) was due to non-availability of enough theatres to meet festival requirement, reduction in number of retrospectives, late signing of Memorandum of Understanding, variation in Municipal Taxes, less foreign tours undertaken and economy measures.

(V) एक शीर्ष के अंतर्गत 60.59 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 12 प्रतिशत थी।

(V) Under one head saving of Rs.60.59 lakhs occurred constituting 12 percent of the sanctioned provision.

3.(I) उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

3.(I) The above savings were partly offset by excess under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2251'' - "सचिवालय - सूचना और प्रसारण मंत्रालय'' - 191.35 लाख रु. का अधिक व्यय (37.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 1798.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) घरेलू यात्रा व्ययों, विदेशी यात्रा व्ययों में बढ़ोतरी होने और इलेक्ट्रानिक जनसंचार निगरानी केंद्र स्थापित किए जाने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष "2220'' -

(क) "फिल्में - अन्य व्यय - सत्यजीत राय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, कोलकाता'' - 234.21 लाख रु. का अधिक व्यय (426.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अकादमिक कार्यकलापों, सत्यजीत राय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, कोलकाता की फिल्म परियोजनाओं में वृद्धि होने और सम्पत्ति कर की बकाया राशि की अदायगी किए जाने के कारण हुआ।

(ख) "अन्य'' -

(i) "विज्ञापन और दृश्य प्रचार - विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय'' - 164.99 लाख रु. का अधिक व्यय (129.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 6296.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम से संबंधित परियोजनाओं, महात्मा गांधी और स्वतंत्रता संग्राम पर विशेष प्रदर्शनी, जम्मू और कश्मीर में औद्योगिक किराए और पिछले वर्ष के कमीशन समायोजन संबंधी व्यय में वृद्धि होने के कारण हुआ।

(ii) "रोजगार समाचार - रोजगार समाचार सेवाएं - 209.48 लाख रु. का अधिक व्यय (37.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 2343.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अखबारी कागज के मूल्य में वृद्धि होने, प्रेषण प्रभारों की दरों में वृद्धि होने और अनुवाद/प्रूफ पढ़ने की दरों में संशोधन होने के कारण हुआ।

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत 57.75 लाख रु. का अधिक व्यय जो स्वीकृत प्रावधान का 32 प्रतिशत था।

(A) Major Head "2251- "Secretariat–Ministry of Information and Broadcasting"- excess of Rs.191.35 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.1798.00 lakhs including supplementary grant of Rs.37.00 lakhs) was due to augmentation in the domestic travel expenses, foreign travel expenses and setting up of Electronic Media Monitoring Centre.

(B) Major Head "2220" -

(a) "Films - Other Expenditure – Satyajit Ray Film and Television Institute, Kolkatta" - excess of Rs.234.21 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.426.00 lakhs) was due to increase of academic activities, film projects of Satyajit Ray Film and Television Institute, Kolkatta and payment of arrear of property tax.

(b) "Others" -

(i) "Advertising and Visual Publicity – Directorate of Advertising and Visual Publicity"- excess of Rs.164.99 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.6296.00 lakhs including supplementary grant of Rs.129.00 lakhs) was due to augmentation of the expenditure for the projects in respect of North Eastern Region and Sikkim, special exhibition on Mahatma Gandhi and freedom struggle, industrial fare in Jammu and Kashmir and commission adjustment of previous year.

(ii) "Employment News – Employment News Services"- excess of Rs.209.48 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.2343.00 lakhs including supplementary grant of Rs.37.00 lakhs) was due to escalation of price of newsprint, increase in rates of despatch charges and revision of rates of translation/proof reading.

(II) Under one head excess of Rs. 57.75 lakhs occurred constituting 32 percent of the sanctioned provision.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

4. In the capital section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

| शीर्ष | Head | | | कुल अनुदान Total grant | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत- Saving– |
|---|---|---|---|---|---|---|
| मुख्य शीर्ष "4220" सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय | Major Head "4220" Capital Outlay on Information and Publicity | | | | | |
| मू. | O. | 4017.00 | | | | |
| पू. | S. | 1.00 | | 2969.90 | 2504.45 | -465.45 |
| पु. | R. | –1048.10 | | | | |
| मुख्य शीर्ष "4552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय | Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas | | | | | |
| मू. | O. | 5883.00 | | . . | . . | . . |
| पु. | R. | –5883.00 | | | | |
| मुख्य शीर्ष "6220" प्रसारण के लिए कर्ज | Major Head "6220" Loans for Information and Publicity | | | | | |
| पू. | S. | 1.00 | | 477.00 | 477.00 | . . |
| पु. | R. | 476.00 | | | | |

(I) 6865.40 लाख रु. का प्रावधान पांच शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 6847.50 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष "4220" -

(क) "फिल्में" -

(i) "मशीनरी और उपस्कर - फिल्म प्रभाग के लिए उपस्कर का अधिग्रहण" - 105.00 लाख रु. "फिल्म प्रभाग के

(I) Provision of Rs.6865.40 lakhs remained wholly unutilised under five heads; of these Rs.6847.50 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "4220" –

(a) "Films" –

(i) "Machinery and Equipment – Acquisition of Equipment for Films Division"- Rs.105.00 lakhs – due to non-approval of

अप्रचलित उपस्कर का प्रतिस्थापन'' स्कीम के संबंध में स्थायी वित्त समिति का अनुमोदन न होने के कारण थे।

the Standing Finance Committee in respect of 'Replacement of Obsolete Equipment of Films Division' scheme.

(ii) ''अन्य भवन - चलचित्र संग्रहालय (फिल्म प्रभाग) की स्थापना'' - 744.00 लाख रु. राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम को परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किए जाने में विलंब होने, ''चलचित्र संग्रहालय की स्थापना'' और ''फिल्म प्रभाग के अप्रचलित उपस्कर का प्रतिस्थापन'' योजना स्कीमों के संबंध में स्थायी वित्त समिति का अनुमोदन न होने के कारण थे।

(ii) "Other Buildings – Setting up of Museum of Moving Images (Films Division)"- Rs.744.00 lakhs – due to delay in appointment of National Building Construction Corporation as Project Management Consultant, non-approval of the Standing Finance Committee in respect of 'Setting up of Museum of Moving Images' and 'Replacement of Obsolete Equipment of Films Division' plan schemes.

(ख) ''अन्य - भवन - भारतीय जन संचार संस्थान की भवन और आवास परियोजना'' - 115.50 लाख रु. जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय से स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण कार्य के लिए स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण थे।

(b) "Others - Buildings – Building and Housing Project of Indian Institute of Mass Communication"- Rs.115.50 lakhs - due to non-receipt of clearance from Jawahar Lal Nehru University for the construction of staff quarters.

(खा) मुख्य शीर्ष ''4552'' - ''अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाएं/स्कीमें'' - 5883.00 लाख रु. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण थे।

(B) Major Head "4552" - "Other Expenditure– Projects/Schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim" - Rs.5883.00 lakhs - due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष ''4220'' - ''अन्य - भवन - पत्र सूचना ब्यूरो के राष्ट्रीय प्रैस केंद्र और लघु जनसंचार केंद्र की स्थापना'' के अंतर्गत 1059.50 लाख रु. की बचत (1819.50 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पत्र सूचना ब्यूरो और राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने में विलंब होने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "4220" - "Others – Buildings – Setting up of National Press Centre and Mini Media Centres of Press Information Bureau" – saving of Rs.1059.50 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1819.50 lakhs) was due to delay in signing of Memorandum of Understanding between Press Information Bureau and National Building Construction Corporation.

(III) तीन शीर्षों के अंतर्गत 272.13 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 25 प्रतिशत से 66 प्रतिशत तक थीं।

(III) Under three heads savings of Rs.272.13 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 25 percent to 66 percent of the sanctioned provision.

5. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (1275.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिसम्बर, 2005 और मार्च, 2006 प्रत्येक में 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक

5. The above savings were partly (Rs.1275.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grants of

अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(I) मुख्य शीर्ष "4220" - "अन्य - भवन - निजी एफएम रेडियो केंद्र के लिए भवन और टावर" - 799.00 लाख रु.।

(II) मुख्य शीर्ष "6220" - "फिल्में - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज - राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम" - 476.00 लाख रु.।

Rs.1.00 lakh each in December, 2005 and March, 2006 - under the following major heads:-

(I) Major Head "4220" – "Others – Buildings – Building and Tower for Private FM Radio Station"- Rs.799.00 lakhs.

(II) Major Head "6220" – "Films – Loans to Public Sector and Other Undertakings – National Film Development Corporation"- Rs.476.00 lakhs.